भारत सरकार
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
(खेल विभाग)
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1316
उत्तर देने की तारीख 08 दिसंबर, 2025
17 अग्रहायण, 1947 (शक)

खेल निकायों में यौन उत्पीड़न की शिकायतें

1316. डॉ. थोल तिरुमावलवन:

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास खिलाडियों / एथलीटों द्वारा आमतौर पर की गई यौन उत्पीड़न शिकायतों और खेल संघ/महासंघ के पदाधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों का डेटा उपलब्ध है;

(ख) यदि हाँ, 'तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में सरकार द्वारा कोई जांच की गई है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत् संबंधी ब् यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री
(डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) से (घ): राष्ट्रीय खेल परिसंघ (एनएसएफ) स्वैच्छिक निकाय हैं जो सोसायटी रजिस्ट्रिकरण अधिनियम, 1860 / न्यास अधिनियम/कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत हैं। इन्हें उनके अपने संविधान द्वारा संचालित किया जाता है और खिलाड़ियों द्वारा दायर शिकायतों/समस्याओं का निवारण करने की इनकी अपनी अलग प्रक्रिया होती है।

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने 12.08.2010 को सभी राष्ट्रीय खेल परिसंघों (एनएसएफ) को विस्तृत अनुदेश जारी किए थे ताकि विशाखा और अन्य बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान और अन्य मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तय दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा सके। कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) (पीओएसएच) अधिनियम, 2013 के अधिनियमन के अनुसार, पीओएसएच अधिनियम

2013 के प्रावधान सभी एनएसएफ पर लागू होते हैं। यौन उत्पीड़न की रिपोर्ट किए जाने वाली घटनाओं में प्रचलित कानूनी प्रावधानों के अनुसार एनएसएफ द्वारा कार्रवाई करना अनिवार्य है।

मंत्रालय ने भी खेलों में यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए समय-समय पर सभी एनएसएफ को अनुदेश भी जारी किए हैं।

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, खिलाड़ियों द्वारा संबंधित खेल संस्थाओं के पास दर्ज की गई यौन उत्पीड़न की शिकायतों का डेटा नहीं रखता है।

भारतीय खेल प्राधिकरण (साई), जो युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है, ने सभी हितधारकों को यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष अनुदेश जारी किए हैं कि खेल भावना और उचित नैतिक आचरण के मूल्यों के अनुरूप उपयुक्त व्यवहार की हमेशा अपेक्षा की जाती है, ताकि एक सुरक्षित और सकारात्मक वातावरण सुनिश्चित किया जा सके। खेलों में सुरक्षित महौल प्रदान करने के लिए, साई खिलाड़ियों के लिए 24*7 हेल्पलाइन भी चलाता है। एनएसएफ को निम्नलिखित उपाय सुझाए गए हैं:

i. महिला कोच का घरेलू/अंतर्राष्ट्रीय शिविरों और प्रतियोगिताओं के दौरान महिला एथलीटों के साथ का टीम का हिस्सा होना अनिवार्य है|

ii. सभी राष्ट्रीय कोचिंग शिविरों और विदेश में होने वाले मुकाबलों में अनुपालन अधिकारी (पुरुष और महिला) की नियुक्ति की जानी चाहिए। अनुपालन अधिकारी की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों में एथलीटों और अन्य लोगों के साथ नियमित रूप से संवाद करना शामिल है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दिशानिर्देशों का पालन किया जा रहा है, साथ ही खेलों में यौन उत्पीड़न की रोकथाम संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया को लागू करना भी शामिल है। अनुपालन अधिकारी को अन्य कर्तव्यों के अलावा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यदि कोई सदस्य किसी उल्लंघन की रिपोर्ट करता है, तो इसकी रिपोर्ट सबसे पहले जिम्मेदार प्राधिकरणों को की जाए।

iii. किसी भी राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर और विदेशी अनुभव से पहले सभी एथलीटों, कोचों और सहायक कर्मियों के लिए पूर्व-शिविर संवेदनशीलता मॉड्यूल डिज़ाइन करने होंगे और उन्हें उनसे अवगत कराना होगा।

iv. संबंधित राष्ट्रीय खेल संघों (एनएसएफ) द्वारा राष्ट्रीय कोचिंग शिविरों में महिला कोच/सहायक कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करनी चाहिए।

*****